न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 208 / 2025

अनवान : –

1. नानकोर पत्नि धर्मपाल जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. कृष्ण पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. जगदीश पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर
3. नेतराम पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर
4. रमेश कुमार पुत्र राजेश कुमार जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर
5. राजबाला उर्फ बाला पुत्री बनवारी जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर
6. रोहताश पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर
7. विकास सहू पुत्र राजेश कुमार सहू जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर
8. राजस्थान स्टेट जरिये उप तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः 27/05/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 15 डीपीएन. तहसील नोहर के खाता सं. 41 / 41 के प.न. 392 / 442 मु.न. 10 के किला नं. 4 / 1 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 4 / 2 की 0.2270 हैक्टर भूमि व किला नं. 7–14 की 0.5060 हैक्टर भूमि कुल 5 खसरेजात की 0.7590 हैक्टर भूमि एव रोही मौजा चक 16 डीपीएन. तहसील नोहर के खाता सं. 127 / 115 के प.न. 392 / 441 मु.न. 35 के किला नं. 22 ता 24 की प्रत्येक की 0.2530 हैक्टर भूमि कुल 0.7590 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादियान एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है वाद भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं मुताबिक बंटवारा ही काबिज है। इसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा चक 15 डीपीएन. तहसील नोहर के खाता सं. 41 / 41 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 127 / 115 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है बहस सुनी जावे।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त के मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 15 डीपीएन. तहसील नोहर के खाता सं. 41/41 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 127/115 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि पक्षकारान के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. कृष्ण कुमार पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 1/80, जगदीश पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 21/80 नेतराम पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 1/80 रमेश कुमार पुत्र राजेश कुमार हिस्सा 21/160 राजबाला पुत्री बनवारी लाल हिस्सा 3/16, रोहताश पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 21/80 विकास राहु पुत्र राजेश कुमार हिस्सा 21/160 जाति जाट सा० रामगढ़ खातेदार– चक 16 डी.पी.एन. प०नं0 392/441 मु0नं0 35 के किला नं0 22 ता 24 की 0.759 है० नहरी खातेदारी भूमि एवं चक 15 डी.पी.एन. प.नं0 392/442 मु0नं0 10 के किला नं0 4/1 की 0.026 है० गै०सु० रास्ता किला नं0 4/2 की 0.227 है० नहरी इस प्रकार कुल किता 2 की 0.253 है० नहरी खातेदारी भूमि मय गै० मु० रास्ता भूमि।
2. नानकौर पत्नी धर्मपाल हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा० रामगढ खातेदार – चक 15 डी.पी.एन. प. नं0 392/442 मु0नं0 10 के किला नं0 7 की 0.253 है० नहरी किला नं0 14 की 0.253 है० नहरी इस प्रकार कुल किता 2 की 0.506 है० नहरी खातेदारी भूमि।

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ....27/05/26... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 208/2025

अनवान : –

1. नानकोर पत्नि धर्मपाल जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– **वादी**

बनाम

1. कृष्ण पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. जगदीश पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर
3. नेतराम पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर
4. रमेश कुमार पुत्र राजेश कुमार जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर
5. राजबाला उर्फ बाला पुत्री बनवारी जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर
6. रोहताश पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर
7. विकास सहू पुत्र राजेश कुमार सहू जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर
8. राजस्थान स्टेट जरिये उप तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 208 सन 2025 निर्णय दिनांक 27/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 15 डीपीएन. तहसील नोहर के खाता सं. 41/41 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 127/115 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि पक्षकारान के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. कृष्ण कुमार पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 1/80, जगदीश पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 21/80 नेतराम पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 1/80 रमेश कुमार पुत्र राजेश कुमार हिस्सा 21/160 राजबाला पुत्री बनवारी लाल हिस्सा 3/16, रोहताश पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 21/80 विकास राहु पुत्र राजेश कुमार हिस्सा 21/160 जाति जाट सा० रामगढ़ खातेदार– चक 16 डी.पी.एन. प०नं0 392/441 मु0नं0 35 के किला नं0 22 ता 24 की 0.759 है० नहरी खातेदारी भूमि एवं चक 15 डी.पी.एन. प.नं0 392/442 मु0नं0 10 के किला नं0 4/1 की 0.026 है० गै०सु० रास्ता किला नं0 4/2 की 0.227 है० नहरी इस प्रकार कुल किता 2 की 0.253 है० नहरी खातेदारी भूमि मय गै० मु० रास्ता भूमि।
2. नानकौर पत्नी धर्मपाल हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा० रामगढ खातेदार – चक 15 डी.पी.एन. प.नं0 392/442 मु0नं0 10 के किला नं0 7 की 0.253 है० नहरी किला नं0 14 की 0.253 है० नहरी इस प्रकार कुल किता 2 की 0.506 है० नहरी खातेदारी भूमि।

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर